प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–3173/शि0का0लख0/2023 दिनांक– 04 अगस्त,2023

विषयः– **परिवार के सदस्यों के मध्य दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट के प्रावधान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अधिसूचना संख्या–18/2023/995/94 एस0आर0–2–2023–700(29)/2021 दिनाँक 3 अगस्त 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में किये गए दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर कतिपय शर्तों के साथ छूट अधिसूचित की गई है।

उपरोक्त छूट प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. उक्त छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरणा साफ्टवेयर पर प्रमाणक अपलोड करना होगा,
   i. जिसमें दानकर्ता के पास भूमि की प्राप्ति का स्रोत्र,
   ii. दान ग्रहिता से उसका सम्बंध,
   iii. सम्बन्ध का साक्ष्य,
   iv. मृतक भाई की पत्नी का दान ग्रहिता होने के प्रकरण में भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र,
   v. सम्बन्धित सम्पत्ति का geotag फोटोग्राफ अथवा अक्षांश एवं देशान्तर (latitude and longitude) अंकित करेगें।
   vi. प्रमाणक "कि इस दान विलेख में हस्तान्तरित की जा रही सम्पत्ति शासनादेश संख्या–18/2023/995/94 एस0आर0–2–2023–700(29)/2021 दिनाँक 3 अगस्त 2023 यथा संशोधित के अनुसरण में किया जा रहा है, इस सम्पत्ति को दानदाता द्वारा दानग्रहिता के रूप में शासनादेश में उल्लिखित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया गया है, यदि विपरीत तथ्य ज्ञात होते है तो जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह मुझे मान्य होगी।

   तथा अन्य सूचना (जो कि अन्य दान विलेखों में दी जाती हैं) के साथ अपलोड करेगा।
2. उभय पक्षों के आधार कार्ड अवश्य लिये जायें।
3. **मुख्य रूप से उपनिबन्धक द्वारा इन बिंदुओं को अवश्य देखा जाएगाः –**

   (क) दान की जा रही सम्पत्ति अधिसूचना संख्या–18/2023/995/94 एस0आर0–2–2023– 700(29)/2021 दिनाँक 3 अगस्त 2023 के परन्तुक के प्रथम बिंदु एवं तृतीय बिंदु से आच्छादित तो नहीं है।

   (ख) क्या अपलोड किए गए सम्बन्ध सम्बन्धी प्रमाण पत्र से वह सम्बन्ध प्रकट हो रहा है, जिसका विलेख में उल्लेख किया गया है? और वह सम्बन्ध शासनादेश में छूट हेतु स्वीकृत सम्बन्ध में आता है।

Scanned with CamScanner

(ग) दान दाता एवं दान ग्रहीता दोनों जैविक व्यक्ति हैं या नहीं। दान की जा रही सम्पत्ति किसी कंपनी/फर्म/सोसाइटी/संस्था आदि के नाम पर तो नहीं है?

उपरोक्त किसी भी बिंदु में भी प्रकरण के अधिसूचना से विसंगत होने की दशा में छूट का लाभ न देते हुए सामान्य दरों पर निबंधन का विकल्प दिया जाएगा।

4. यह ध्यान रखा जाएगा कि छूट मात्र स्टाम्प शुल्क पर है, एवं निबंधन शुल्क उचित दर से ही देय रहेगा। अधिसूचना के द्वारा देय स्टाम्प शुल्क की मात्र अधिकतम सीमा तय की गई है, न कि ऐसे अंतरण में देय शुल्क के आगणन सूत्र में कोई परिवर्तन। अतः अंतरित सम्पत्ति का मूल्य छूट के अधीन भी प्रासंगिक होगा। अतः धारा 27 के अनुपालन में अंतरित सम्पत्ति का मूल्य व्यक्त करना अनिवार्य होगा एवं उक्त के आलोक में अधिसूचना संख्या–02/2020/127/94स्टा0नि0–2–2020–700 (74)/2015 दिनाँक 13 फरवरी 2020 के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क देय होगा।

तत्क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए ही निबन्धन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः– /शि0का0लख0/2023 दिनांक अगस्त,2023

प्रतिलिपिः– समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/पदेन जिला निबन्धन, को सूचनार्थ।

(कंचन वर्मा)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

::प्रमाणक::

हम प्रमाणित करते है कि –:

i. दानकर्ता के पास भूमि की प्राप्ति का स्रोत्रः–

ii. दान ग्रहिता से उसका सम्बंधः–

iii. सम्बन्ध का साक्ष्यः–

iv. मृतक भाई की पत्नी का दान ग्रहिता होने के प्रकरण में भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र है या नही

v. सम्बन्धित सम्पत्ति का geotag फोटोग्राफ

vi. "कि इस दान विलेख में हस्तान्तरित की जा रही सम्पत्ति शासनादेश संख्या–18/2023/995/94 एस0आर0–2–2023–700(29)/2021 दिनाँक 3 अगस्त 2023 यथा संशोधित के अनुसरण में किया जा रहा है, इस सम्पत्ति को दानदाता द्वारा दानग्रहिता के रूप में शासनादेश में उल्लिखित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया गया है, यदि विपरीत तथ्य ज्ञात होते है तो जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह मुझे मान्य होगी।

दिनाँक

स्थान

हस्ताक्षर दानदाता

हस्ताक्षर दानग्रहिता

Scanned with CamScanner